दुनिया के सबसे मित्रतापूर्ण और रहने योग्य शहरों में से एक, पर्थ में अपना व्यवसाय स्थापित करें

पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन व्यापारिक प्रवासियों का स्वागत करती है, जिन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था, रोज़गार और सांस्कृतिक विविधता में उनके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त और मूल्यवान माना जाता है।

भूमध्यसागरीय शैली की जलवायु, विविध समुदायों और उच्च जीवन स्तर के साथ, पर्थ दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों में से एक है।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश का मज़बूत इतिहास है और कई संसाधन और कृषि संपत्तियों के साथ-साथ एक गतिशील कारोबारी माहौल है। यह सभी ASX (ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज) सूचीबद्ध कंपनियों में से एक तिहाई का घर भी है। प्रवासियों के लिए यह कदम उठाने और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों की श्रृंखला का लाभ उठाने के लिए इससे बेहतर समय नहीं है।

दुनिया की लगभग 60 प्रतिशत आबादी जिस समय क्षेत्र में रहती है, उसी समय क्षेत्र में स्थित पर्थ, रहने और व्यवसाय संचालित करने के लिए विश्व स्तर पर जुड़ा हुआ एक शहर है। विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में यह शहर बहुत सही जगह स्थित है, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और चीन सहित कई स्थानों के लिए दैनिक सीधी उड़ानें हैं।

प्रवासी समुद्र तट के सबर्बज़ (उपनगरों), पारिवारिक इलाकों या फिर शांतिपूर्ण क्षेत्रीय शहरों में रहने का चुनाव कर सकते हैं। वे जहां पर भी बसते हैं, उन्हें सामाजिक और सहायता नेटवर्क और कई अलग-अलग पृष्ठभूमियों और धर्मों के समुदाय मिलेंगे।

अल्पकालीन व्यापारिक वीज़ा

प्रवासियों के लिए व्यवसाय संभालने या निवेश करने के लिए कई प्रकार के अस्थायी निवास वीज़ा उपलब्ध हैं। अल्पकालीन व्यापारिक वीज़ा (provisional business visa) के लिए राज्य नामांकन आवेदन शुल्क AU$750 है।अल्पकालीन व्यापारिक वीज़ा में शामिल हैं:

1. बिज़नेस वीज़ा सबक्लास (उपवर्ग) 188 - बिज़नेस इनोवेशन स्ट्रीम

यह वीज़ा उन प्रवासियों के लिए उपलब्ध है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

- पिछले चार वित्तीय वर्षों में से दो में, अधिकतम दो व्यवसायों में स्वामित्व हित (ownership interest) रहा है और ऐसे व्यवसायों में उन वर्षों में प्रत्येक वर्ष, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर $750,000 का न्यूनतम वार्षिक कारोबार किया है;
- जिनके पास कम से कम AU$1,250,000 मूल्य की शेष (net) व्यवसायिक और व्यक्तिगत संपत्ति है; तथा
- ऐसे किसी व्यवसाय में संलग्न नहीं रहे हैं जहां पेशेवर, तकनीकी या ट्रेड सेवाएँ (व्यापार सेवाएँ) प्रदान करने में उनका 50 प्रतिशत से अधिक समय लगता है।

इस वीज़ा के अधिकांश धारक वीज़ा 888 और स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जब वे पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक व्यवसाय का स्वामित्व और संचालन कर लेते हैं और संबंधित स्वामित्व हित, टर्नओवर (किया गया कुल व्यापार), संपत्ति, रोज़गार और निवास मापदंडों को पूरा करते हैं।

GOVERNMENT OF WESTERN AUSTRALIA

Small Business Development Corporation

2. व्यापार वीज़ा उपवर्ग 188 - निवेशक स्ट्रीम

यह वीज़ा उन प्रवासियों के लिए उपलब्ध है जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं:

- एक या एक से अधिक योग्य व्यवसायों या योग्य निवेशों का सीधे तौर पर प्रबंधन करने में शामिल होने का कुल मिला के कम से कम तीन साल का अनुभव हो;
- पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से एक में किसी ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन किया हो जिसमें उनका कम से कम 10 प्रतिशत का स्वामित्व हित है; या कम से कम AU$2.5 मिलियन (25 लाख) मूल्य के निवेश का सीधे तौर पर प्रबंधन किया हो।
- पिछले दो वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में, कुल व्यापार और निजी संपत्ति का शेष मूल्य (नेट वर्थ) कम से कम AU$2.5 मिलियन (25 लाख) हो;
- आप गृह मामलों के विभाग (DHA) द्वारा निर्धारित किया गया $2.5 मिलियन (25 लाख) का माननीय निवेश, प्रविज़नल (अस्थाई) वीज़ा की अवधि के लिए कर पाने में सक्षम हैं;

इस वीज़ा के अधिकांश धारक वीज़ा 888 और स्थायी निवास का आवेदन करने के पात्र होंगे, जब उन्होंने कम से कम तीन वर्षों के लिए, बताया गया निवेश किया हो और इस दौरान कुल मिलाकर कम से कम दो वर्षों तक राज्य में रहे हों।

इस वीज़ा और निर्धारित माननीय निवेश ढांचे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए के लिए कृपया DHA की वेबसाइट immi.homeaffairs.gov.au/ देखें।

3. व्यापार वीज़ा उपवर्ग 188 - महत्वपूर्ण निवेशक (Significant Investor) स्ट्रीम

यह वीज़ा उन प्रवासियों के लिए उपलब्ध है जिनके पास कम से कम AU$5 मिलियन (50 लाख) की व्यावसायिक और व्यक्तिगत संपत्ति, वीज़ा मंज़ूर किए जाने से ठीक पहले DHA द्वारा निर्धारित माननीय निवेश ढांचे के भीतर निवेश करने के लिए उपलब्ध है।

इस वीज़ा के धारक वीज़ा 888 और स्थायी निवास के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, जब वे ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा की अवधि (न्यूनतम लगातार तीन वर्षों) के दौरान निर्धारित किया गया माननीय निवेश (complying investment(s)) करने का पालन करेंगे और उस दौरान कुल मिला के कम से कम 120 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहे होंगे।

इस वीज़ा और निर्धारित निवेश ढांचे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए के लिए कृपया DHA की वेबसाइट immi.homeaffairs.gov.au/ देखें।

4. बिज़नेस वीजा सबक्लास 188 - एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम

यह वीज़ा उन प्रवासियों के लिए उपलब्ध है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उद्यमी गतिविधि (entrepreneurial activity) करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए, रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आवेदन के लिए कृपया ईमेल करें:
businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au

स्थायी व्यापार वीज़ा

स्थायी निवास व्यापार वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने राज्य नामांकन समझौते और DHA मानदंड सहित अपने अस्थाई व्यापार वीज़ा की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

उपवर्ग 188 और उपवर्ग 888 वीज़ा के लिए राज्य नामांकन आवश्यकताएँ आम तौर पर गृह मामलों के विभाग (DHA) की आवश्यकताओं के समान ही होंगी।

स्थायी निवास व्यवसाय वीज़ा के लिए राज्य नामांकन आवेदन शुल्क AU$750 है।

यह वीज़ा अस्थायी वीज़ा 188 बिज़नेस इनोवेशन स्ट्रीम, 188 निवेशक स्ट्रीम, 188 सिग्निफिकैन्ट निवेशक स्ट्रीम या 188 उद्यमी (Enterpreneur) के धारकों के लिए उपलब्ध है।

अग्रिम जानकारी

संभावित व्यापार प्रवासियों और उनके एजेंटों को प्रोत्साहित किया जाता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकार की वेबसाइट businessmigration.wa.gov.au पर जाएँ और व्यापार वीज़ा श्रेणियों को देखते हुए स्व-मूल्यांकन करें और राज्य नामांकन के लिए आवेदन दर्ज करें। सफल व्यवसायों के मालिक और निवेशक, जो पहले से ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यवसाय या निवेश में शामिल हैं, वे भी इस पत्र में सूचीबद्ध किसी एक वीज़ा के लिए योग्य हो सकते हैं।

WA (पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया) में व्यवसाय वीज़ा के लिए आवेदन करने का अर्थ है:

- न्यूनतम आवश्यकताएं DHA मानदंड के समान हैं;
- किसी भी योग्य व्यावसायिक गतिविधि करने का चुनाव किया जा सकता है;
- किसी संपत्ति विकास से जुड़ी व्यवसायिक गतिविधि में भाग लेना;
- आयु छूट या विशेष समर्थन (Special Endorsement) के किसी आवेदन पर विषयनुसार विचार किया जाएगा;
- असाधारण परिस्थितियों में प्राथमिकता से कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया जा सकता है।

व्यापार प्रवासन केंद्र (Business Migration Centre)
लघु व्यवसाय विकास निगम (Small Business Development Corporation)
टेलीफोन 61(08) 6552 3300
Businessmigration@smallbusiness.wa.gov.au
Businessmigration.wa.gov.au